SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 THE CRIMINAL PROCEDUR CODE, 1898 In the court of रामाजी.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-मिण्ड (म.प्र.) प्रकरण कमांक /2017 Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना.... प्रशासन भिण्ड म०प्र० name, parentage, caste and address of accused Descript of excent copies ((क) स्मिल्य वास्टान अह अट्टा का 13 The offence complained of, and date of its alleged commission आपने दिनांक 12.1.18 को 16.30 बजे से 16.30 बजे के मध्य स्थानमें ताश के पत्तों से रूपयों पैसों की हारजीत का दाव लगाकर जुआ खेला। तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.) The plea of the accused and bis examination [if any]--आरोपी का अभिवाक-न्यायिक मजिस्ट्रेंट प्रथम श्रेणी गोहद, ज़िला-भिण्ड (म.प्र.)

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed

८०४ , ३००० मण्य / / निर्णय / /

(आज दिनांक 🛂 🐪 को घोषित किया गया)

- 1. अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने खेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- 2. अभियुक्त/अभियुक्तनण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी खेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धरा 13 सार्वजनिक धूत कीडा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक धूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।

3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को 🦫 ्रिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

4. प्रकरण में जप्तशुदा किये जाते है अपील अवधि पश्चात विधिवत कोषालय में जमा हो। अप

दिनांक- 15 ८/६

निर्णय आज दिनांकित एवं ... हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

पंकरन रामां न्याध्यक मजिएट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.) पंकज शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-मिण्ड (म.प्र.)